**Fourteenth Loksabha**

**Session : 8**
**Date : 23-08-2006**

**Participants : Kumar Shri Shailendra**

an>

Title : Problems being faced by 'Shiksha Mitras.

**श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल)** : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे स्पेशल मेंशन पर बोलने के लिए समय दिया। पूरे देश में लाखों शिक्षा मित्रों की समस्या की ओर मैं इस सदन का ध्यान आकर्ति करना चाहूंगा।

विगत 5-6 वर्ों से, चाहे वह स्कूल चलो अभियान हो या सर्व-शिक्षा अभियान हो, ये शिक्षा मित्र और ये योजनाएं शिक्षा के लिए रीढ़ की हड्डी मानी जाती हैं। लेकिन इन शिक्षा मित्रों का भविय असुरक्षित है। 18 से 35 र्वा आयु और मैरिट के आधार पर इनकी नियुक्ति होती है, लेकिन प्रधान, प्राधानाध्यापक, अभिभावक, ए.बी.एस.ए. और बी.एस.ए. गांव की आपसी गुटीय राजनीति के कारण इनकी पुनर्नियुक्ति में धन की मांग की जाती है, इनका शोाण होता है। जहां तक मानदेय का भुगतान है, 2400 रुपये प्रतिमाह इन्हें मानदेय मिलता है, लेकिन 6 माह, एक र्वा बाद इनको किश्तों में मिलता है, जब टोटल 14 हजार रुपये हो जाते हैं तो प्रधान सोचता है कि इनको बहुत अधिक मानदेय मिल रहा है तो इसमें भी पैसे की डिमांड की जाती है, इसलिए इनके मानदेय को बढ़ाने की जरूरत है। दूसरी बात...(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय :** दूसरी नहीं, एक बार में एक ही बात होती है।

**श्री शैलेन्द्र कुमार** : घर का खर्चा, माता-पिता के इलाज का खर्चा, देख-भाल तमाम तरह के खर्चे होते हैं। तमाम शिक्षण संस्थाओं में पैरा टीचर्स को इनसे ज्यादा अच्छा मानदेय मिलता है। अवकाश के नाम पर, चाहे वह आकस्मिक अवकाश हो या चिकित्सा का अवकाश हो या महिला मित्रों को प्रसूति का अवकाश हो, इनको बिल्कुल नहीं मिलता, इस तरह से इनका शोाण होता है। उपरोक्त अवकाश लेने पर इनका मानदेय काट लिया जाता है, यह एक दुर्भाग्य की बात है।

दूसरी बात, बहुत सी अविवाहित महिलाएं हैं, जो शिक्षा मित्र की नौकरी करती हैं, उनको भी जब सरकार शादी हेतु अनुदान देती है...(व्यवधान) मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, मेरा लास्ट पाइंट है।

गरीब महिलाओं को सरकार शादी हेतु अनुदान देती है, लेकिन जब उनकी कहीं शादी हो जाती है, तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि शिक्षा मित्रों की मूलभूत समस्याओं की ओर विशेा ध्यान दिया जाए, ताकि वे शिक्षा जगत से जुड़कर देश की अच्छी तरह से सेवा कर सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Hon. Deputy-Speaker, Sir, I was not present in the House, and I was watching the proceedings on TV in my room. One distinguished Member, Shri Avinash Rai Khanna, in the '*Zero Hour'* intervention made a substantial allegation against one of the Ministers of the Government. The rule of the House is that if any allegation against a Minister is to be made, then it should be substantiated and given to the Speaker's office and a notice will be given to the Minister allowing her to respond. Therefore, I would request you that since it was not done according to the practice of the House, it should be expunged from the records.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will see the records, and if there is anything derogatory in it, then I will expunge it.

... (*Interruptions*)

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Sir, he did not mention anybody. He did not particularly mention his name. … (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will see the records.

… (*Interruptions*)